भारत सरकार
जनजातीय कार्य मंत्रालय
लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 5422
उत्तर देने की तारीख: 03.04.2025

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम

5422. श्री प्रभाकर रेड्डी वेमिरेड्डीः

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) द्वारा जनजातियों की आय सृजन एवं स्वरोजगार के लिए क्रियान्वित की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है;
(ख) आदिवासी महिला सशक्तीकरण योजना से आदिवासी महिलाओं को कहां तक मदद मिल रही है तथा विगत पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान आंध्र प्रदेश में आदिवासी महिलाओं को दिए गए ऋणों का वर्षवार और जिलावार ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या ऋण केवल दो लाख रुपये तक प्रदान किया जाता है तथा इसे बढ़ाने की मांग की गई है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है तथा ऋण राशि को दस लाख रुपये तक बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्यमंत्री
(श्री दुर्गादास उइके)

(क) जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई), राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) अपनी विभिन्न योजनाओं के तहत आय सृजन गतिविधियों/स्वरोजगार के लिए राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों (एससीए) के माध्यम से पात्र अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को रियायती ऋण देकर ऋण लिंकेज प्रदान करता है। जिन योजनाओं के तहत ऋण दिए जा रहे हैं उनका विवरण नीचे दिया गया है:

- सावधि ऋण योजना: एनएसटीएफडीसी ₹50 लाख प्रति इकाई तक की लागत वाली व्यवहार्य परियोजनाओं के लिए सावधि ऋण प्रदान करता है। इस योजना के तहत, परियोजना की लागत का 90% तक वित्तीय सहायता दी जाती है और शेष राशि सब्सिडी/प्रमोटर अंशदान/मार्जिन मनी के माध्यम से पूरी की जाती है।
- आदिवासी महिला सशक्तीकरण योजना (एएमएसवाई): यह अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के आर्थिक विकास के लिए एक विशेष योजना है। योजना के तहत, एनएसटीएफडीसी ₹2 लाख तक की लागत वाली परियोजनाओं के लिए 90% तक ऋण प्रदान करता है।

- स्वयं सहायता समूहों के लिए माइक्रो क्रेडिट योजना (एमसीएफ): अजजा सदस्यों की छोटी ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु यह स्वयं सहायता समूहों के लिए एक विशेष योजना है। इस योजना के तहत, निगम प्रति सदस्य ₹50,000/- तक और स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) के लिए अधिकतम ₹5 लाख तक का ऋण प्रदान करता है।

- आदिवासी शिक्षा ऋण योजना (एएसआरवाई): यह एक शिक्षा ऋण योजना है जो अजजा छात्रों को भारत में पीएचडी सहित तकनीकी और व्यावसायिक (पेशेवर) शिक्षा प्राप्त करने के लिए खर्च वहन करने में सक्षम बनाती है। इस योजना के तहत, निगम प्रत्येक पात्र परिवार को ₹10.00 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान करता है। छात्र शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार से ऋण स्थगन अवधि के दौरान ब्याज सब्सिडी के लिए पात्र हैं, अर्थात पाठ्यक्रम अवधि के अलावा पाठ्यक्रम पूरा होने के एक वर्ष बाद या नौकरी मिलने के छह महीने बाद, जो भी पहले हो।

(ख) आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना (एएमएसवाई) के तहत, एनएसटीएफडीसी को पिछले पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष (28.03.2025 तक) के दौरान आंध्र प्रदेश राज्य से कोई प्रस्ताव नहीं प्राप्त हुआ है। हालांकि, निगम ने विशेष रूप से महिला एसएचजी के लिए काम करने वाले स्त्री निधि क्रेडिट को-ऑपरेटिव फेडरेशन के माध्यम से एसएचजी सदस्यों के लिए माइक्रो क्रेडिट योजना के तहत महिलाओं की सहायता की है। पिछले पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान 28.03.2025 तक एसएचजी के लिए माइक्रो क्रेडिट योजना के तहत आंध्र प्रदेश राज्य में सहायता प्राप्त महिलाओं का विवरण नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	महिला लाभार्थियों की संख्या
1.	2019-20	25
2.	2020-21	12806
3.	2021-22	2004
4.	2022-23	11787
5.	2023-24	24792
6.	2024-25 (28.03.2025 तक)	12000

(ग) से (घ) एनएसटीएफडीसी को आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना (एएमएसवाई) के अंतर्गत ऋण सीमा की मात्रा बढ़ाने के संबंध में कार्यान्वयन एजेंसियों से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

*****